

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी, एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0005 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 10/01/2025 21:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 08/01/2025 Date To (दिनांक तक): 09/01/2025
- Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 13:30 बजे Time To (समय तक): 12:54 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 10/01/2025 Time (समय): 20:00 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 10/01/2025 21:16:35 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 290 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE
- (b) Address(पता): SBI SHAKHA, COLLECTOR CHITTORGARH, DISTRICT CHITTORGARH
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
- Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): HIMMAT SINGH KHANGAROT

(b) Father's Name (पिता का नाम): HARI SINGH KHANGAROT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983

(d) Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BAR KA AMRANA, SHAMBHUPURA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BAR KA AMRANA, SHAMBHUPURA, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHAIRULAL SUTHAR		पिता: RATAN LAL SUTHAR	1. SAHNVA WARD NUMBER 5, CHARBHUJA MANDIR KE PASS, Sadar Chittorgarh, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA
2	DEEPAK CHATURVEDI		पिता: HARNARAYAN CHATURVEDI	1. UPRLA COHTA GANRRAR, CHITTORGARH, RAJASTHAN, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		70,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

70,000.00

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

महोदय वकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.01.2025 को समय करीब 1.30 पीएम पर परिवारी श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी बड का अमराना ग्राम पंचायत सामरी पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ से मजमुन रिपोर्ट इस प्रकार है कि मैं हिम्मत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी बड का अमराना ग्राम पंचायत सामरी पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ का मूलतः रहने वाला हू। मैं करीब 2 वर्ष मेरे फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरपाईजेज सेती चित्तौडगढ़ में निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य फर्म प्रोपाईटर श्री दुर्गा सिंह जी जो कि मेरे चचेरे बडे भाईसाहब है। उनके समस्त सरकारी निर्माण कार्य जो इनकी फर्म के द्वारा कराये जाते है जिसमें से वर्तमान मैं ग्राम पंचायत सहनवा एवं ग्राम पंचायत सेमलिया में किये जा रहे निर्माण कार्य मेरे द्वारा कराये जा रहे है। जिसमें ग्राम पंचायत सहनवा के निर्माण कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य करवाया जा रहा जिसकी कुल अनुमानित लागत 22 लाख का कार्य आदेश हुआ है जिसमें अभी 80 प्रतिशत निर्माण कार्य किया गया जिसमे प्लास्टर एवं पर्सी का कार्य बाकी है। जिसकी प्रथम भुगतान करने की एवज में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच श्री भैरूलाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी द्वारा पूर्व में 15-15 प्रतिशत की कमीशन राशि की मांग की गई जिस पर परिवारी द्वारा निवेदन करने पर सरपंच श्री भैरूलाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी ने 5 प्रतिशत के हिसाब से कुल भुगतान राशि 7,65,081 रूपये के राउण्ड फिगर में 7 लाख रूपये का कमीशन 5 प्रतिशत के हिसाब से 35-35 हजार रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि सरपंच श्री भैरूलाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी को रिश्वत राशि लेते हुए को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। मेरी सरपंच व ग्राम सचिव से कोई पुरानी लेन देन, उधार राशि का लेन देन नहीं है ना ही मेरे कोई रंजिश है कानुनी कार्यवाही करावें। ष् उक्त मजमून रिपोर्ट एवं मजिद दरियास से मामला रिश्वत राशि मांग सत्यापन का पाया जाने से ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच श्री भैरूलाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने पर समय 03.55 पी.एम.पर परिवारी श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी बड का अमराना ग्राम पंचायत सामरी पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौडगढ़ को रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु ब्यूरो कार्यालय के मालखाना प्रभारी श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 से मालखाना से डिजिटल वाईस टेप रिकोर्डर निकाल कर परिवारी को चालु बन्द करने की समझाईश की जाकर श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 को गोपनीय हिदायत मुनासिब की गई कि उक्त दोनो आरोपीगणों की गोपनीय रूप से भ्रष्ट आचरण की सूचना प्राप्त करने एवं परिवारी के साथ अपना छुपाव करते हुए रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराने हेतु परिवारी के साथ रवाना हो उपस्थित कार्यालय आये तथा हालात परिवारी श्री हिम्मत सिंह द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हो अर्ज किये कि मैं व श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी के बारे मे मालुमात की तो पंचायत समिति चित्तौडगढ़ में होना बाताया जिस पर रवाना हो पंचायत समिति कार्यालय चित्तौडगढ़ में पहुचे जहा श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि0 अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुझे डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर आन कर आधार सेवा केन्द्र पंचायत समिति परिसर चित्तौडगढ़ के लिए रवाना किया जहा पर श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव उपस्थित आया जिससे मिलकर मेरी फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरपाईजेज सेती चित्तौडगढ़ में निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य के प्रथम किशत के भुगतान के सम्बन्ध में बातचित की तो सचिव ने अपना कमीशन राउण्ड फिगर 7 लाख रूपये भुगतान की एवज में 5-5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 35-35 हजार रूपये दोनो के लिये मांगे उक्त वार्ता रिकार्ड कर सचिव के जाने के बाद श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि के पास आने पर डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर बन्द कर सिपुर्द किया बाद फारिक श्री जितेन्द्र सिंह हैड

कानि व मै पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ से रवाना हो ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये उक्त हालात सुनने के पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजिटल वाईस टेप रेकार्ड को आन कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई जिससे परिवादी से दोनो आरोपीगणों द्वारा निर्माण कार्य की प्रथम किण्ट का भुगतान करने की एवज में 35- 35 हजार रूपये रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्टया पाया जाने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की तलबी की जानी है तथा परिवादी को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 09.01.2025 को की जायेगी इसलिये परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 70 हजार रूपये की व्यवस्था कर दिनांक 09.01.2025 को समय 9.00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत मुनासिब कर रूकसत किया। फिर दिनांक 08.01.2025 समय 05.30 पी.एम. पर श्री शेर सिंह कानि, चालक को कार्यालय पत्र क्रमांक 66 दिनांक 08.01.2025 द्वारा श्रीमान अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़ को पत्र जारी कर गोपनीय कार्यवाही हेतु राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी भिजवाने पर कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड चित्तौड़गढ़ पहुंच उक्त पत्र देकर दो स्वतंत्र गवाह श्री कृष्ण गोपाल शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री इम्तियाज हुसैन अनुरेखक को हमरा लेकर ब्यूरो कार्यालय कार्यालय आदेश क्रमांक 6028 दिनांक 08.01.2025 लेकर उपस्थित आये उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही हेतु कल सुबह दिनांक 09.01.2025 को समय 9.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया। तत्पश्चात दिनांक 08.01.2025 समय 06.10 पी.एम. पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह के बड़े चचेरे भाई साहब श्री दुर्गा सिंह जी प्रोपराईटर फर्म तिरूपति बालाजी इन्टर प्राईजेज सेंटी चित्तौड़गढ़ ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये जिनसे मजीद दरियाफत की तो बताया कि श्री हिम्मत सिंह जी मेरी फर्म से सम्बन्धित निर्माण कार्य एवं भुगतान फर्म के खाते में डलवाने इत्यादी समस्त कार्य करीब दो वर्षों से कर रहे है। मेरे परिवार के एवं विश्वसनीय व्यक्ति है। ब्यूरो की इस कार्यवाही के सम्बन्ध में श्री हिम्मत सिंह ने मुझे जरिये दुरभाष बताया कि ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच श्री भैरू लाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी निर्माण कार्य में भी अनावश्यक रूकावटे डालते है एवं रनिंग बिल के भुगतान की एवज में पहले 15- 15 प्रतिशत राशि कमीशन की राशि मांगी गई फिर श्री हिम्मत सिंह जी द्वारा सरपंच व सचिव को काफी निवेदन करने के बाद 5- 5 प्रतिशत कमीशन की राशि मांगी गई जिसके सम्बन्ध में मुझे हिम्मत सिंह ने बताया तो मेने ही श्री हिम्मत सिंह को ब्यूरो मे रिपोर्ट पेश करने के लिये निर्देशित किया। जिस पर श्री हिम्मत सिंह ने यह रिपोर्ट ब्यूरो में कराई जिससे मै खुश हूं कि ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेन्सी होने से आये दिन कमीशन के चक्कर में परेशान करते रहते है। इसलिये ऐसा नेक काम मेरे परिवार के भाई श्री हिम्मत सिंह ने मेरे कहने पर रिपोर्ट ब्यूरो मे पेश की है जिससे मैं सहमत हूं। आप द्वारा आपकी पत्रावली में सलग्न हिम्मत सिंह द्वारा ब्यूरो मे प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.01.2025 को पेश की जिसको मैं पढ समझ सही मान हस्ताक्षर कर रहा हूं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूं। फिर दिनांक 09.01.2025 समय 11.40 एएम पर पुर्व पाबन्द शुदा परिवादी श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी बड का अमराना ग्राम पंचायत सामरी पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री कृष्ण गोपाल शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री इम्तियाज हुसैन अनुरेखक उपस्थित कार्यालय आये तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर ट्रेप कार्यवाही के संबंध में दोनो स्वतंत्र गवाहान को कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनो गवाहान ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति दी जाने पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह एवं दोनो स्वतंत्र गवाहानो का आपस में परिचय कराया गया तथा उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुये परिवादी द्वारा दिनांक 08.01.2025 को पेश हस्तलिखित कार्यवाही रिपोर्ट को दोनो गवाहान को पढ कर सुनाई गई सुन समझ सही मान दोनो गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। फिर दिनांक 09.01.2025 समय 11.50 एएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थित में दिनांक 08.01.2025 को परिवादी श्री हिम्मत सिंह व आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव के मध्य पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ कार्यालय परिसर के अन्दर आधार सेवा केन्द्र के सामने आमने-सामने (रूबरू) हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन के वक्त वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है उक्त डीवीआर को कार्यालय मे कम्प्युटर से कनेक्ट कर चलाकर बारी बारी से सुनाया गया तो उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव की होने की पुष्टि परिवादी ने की तथा एक आवाज परिवादी श्री हिम्मत सिंह ने अपनी स्वयं की होने की पुष्टि की। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात दिनांक 09.01.2025 समय 12.15 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान व मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री हरि सिंह खंगारोत जाति राजपूत उम्र 42 वर्ष निवासी बड का अमराना ग्राम पंचायत सामरी पुलिस थाना शम्भुपुरा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह ने अपनी व्यवस्थानुसार अपने पास से निकालकर पाच-पाच सौ रूपये के 140 नोट कुल 70 हजार रूपये पेश किये। भारतीय मुद्रा के उक्त नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है- क्र.स नोट का प्रकार नोटो के नम्बर 1 500 रूपये का एक नोट नंबर 6WD 763589 2 500 रूपये का एक नोट नंबर 5PH 691590 3 500 रूपये का एक नोट नंबर 0RU 787303 4 500 रूपये का एक नोट नंबर 3MU 929070 5 500 रूपये का एक नोट नंबर 2FF 515351 6 500 रूपये का एक नोट नंबर 0PK 157393 7 500 रूपये का एक नोट नंबर 9HA 566172 8 500

रूपये का एक नोट नंबर 4EC 084779 9 500 रूपये का एक नोट नंबर 6SV 767713 10 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 2KL 850226 11 500 रूपये का एक नोट नंबर 0CW 273571 12 500 रूपये का एक नोट नंबर 8UV
 758537 13 500 रूपये का एक नोट नंबर 1AQ 730915 14 500 रूपये का एक नोट नंबर 9PL 874835 15 500
 रूपये का एक नोट नंबर 9GE 233041 16 500 रूपये का एक नोट नंबर 4PM 856267 17 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 4CF 036862 18 500 रूपये का एक नोट नंबर 4CP 977856 19 500 रूपये का एक नोट नंबर 8CL
 035781 20 500 रूपये का एक नोट नंबर 8UC 278864 21 500 रूपये का एक नोट नंबर 8QE 277250 22 500
 रूपये का एक नोट नंबर 4AR 593622 23 500 रूपये का एक नोट नंबर 7LR 505782 24 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 3KS 896893 25 500 रूपये का एक नोट नंबर 7CG 849479 26 500 रूपये का एक नोट नंबर 9HK
 430086 27 500 रूपये का एक नोट नंबर 7QE 880841 28 500 रूपये का एक नोट नंबर 4UR 127315 29 500
 रूपये का एक नोट नंबर 0EW 875518 30 500 रूपये का एक नोट नंबर 1FF 524295 31 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 9BC 422409 32 500 रूपये का एक नोट नंबर 0MR 956714 33 500 रूपये का एक नोट नंबर 3GS
 219945 34 500 रूपये का एक नोट नंबर 3EF 299577 35 500 रूपये का एक नोट नंबर 3EE 241152 36 500
 रूपये का एक नोट नंबर 2FR 196787 37 500 रूपये का एक नोट नंबर 4WT 230676 38 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 7DA 956613 39 500 रूपये का एक नोट नंबर 9WR 361795 40 500 रूपये का एक नोट नंबर 8MQ
 260538 41 500 रूपये का एक नोट नंबर 3CG 360320 42 500 रूपये का एक नोट नंबर 9UD 968697 43 500
 रूपये का एक नोट नंबर 4GS 086234 44 500 रूपये का एक नोट नंबर 9TG 631983 45 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 0MQ 089883 46 500 रूपये का एक नोट नंबर 8FU 375718 47 500 रूपये का एक नोट नंबर 0FG
 908115 48 500 रूपये का एक नोट नंबर 0PV 482246 49 500 रूपये का एक नोट नंबर 7QS 075103 50 500
 रूपये का एक नोट नंबर 8KD 863970 51 500 रूपये का एक नोट नंबर 6PA 267331 52 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 3AV 378524 53 500 रूपये का एक नोट नंबर 0BK 659900 54 500 रूपये का एक नोट नंबर 4GQ
 052713 55 500 रूपये का एक नोट नंबर 5TW 263786 56 500 रूपये का एक नोट नंबर 6AU 814950 57 500
 रूपये का एक नोट नंबर 6QC 629474 58 500 रूपये का एक नोट नंबर 1GG 329988 59 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 8UV 307294 60 500 रूपये का एक नोट नंबर 0BG 314936 61 500 रूपये का एक नोट नंबर 2CV
 563299 62 500 रूपये का एक नोट नंबर 1AE 534357 63 500 रूपये का एक नोट नंबर 0GN 336332 64 500
 रूपये का एक नोट नंबर 9QD 926771 65 500 रूपये का एक नोट नंबर 6QK 430259 66 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 2BM 648287 67 500 रूपये का एक नोट नंबर 7TR 404805 68 500 रूपये का एक नोट नंबर 8GH
 828680 69 500 रूपये का एक नोट नंबर 2RT 691965 70 500 रूपये का एक नोट नंबर 6AM 605855 71 500
 रूपये का एक नोट नंबर 7FW 687283 72 500 रूपये का एक नोट नंबर 1SR 503034 73 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 2AG 379179 74 500 रूपये का एक नोट नंबर 7LS 813285 75 500 रूपये का एक नोट नंबर 3HB
 129125 76 500 रूपये का एक नोट नंबर 5CL 698932 77 500 रूपये का एक नोट नंबर 7QT 815334 78 500
 रूपये का एक नोट नंबर 4PB 238662 79 500 रूपये का एक नोट नंबर 1AC 583180 80 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 9WV 898391 81 500 रूपये का एक नोट नंबर 8AH 797703 82 500 रूपये का एक नोट नंबर 6GH
 069249 83 500 रूपये का एक नोट नंबर 5EF 902604 84 500 रूपये का एक नोट नंबर 4GQ 491242 85 500
 रूपये का एक नोट नंबर 6FN 224891 86 500 रूपये का एक नोट नंबर 2DB 345546 87 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 9CG 793429 88 500 रूपये का एक नोट नंबर 1BM 367380 89 500 रूपये का एक नोट नंबर 1BA
 374343 90 500 रूपये का एक नोट नंबर 0ER 275195 91 500 रूपये का एक नोट नंबर 6VN 883439 92 500
 रूपये का एक नोट नंबर 6PB 352128 93 500 रूपये का एक नोट नंबर 5AE 190607 94 500 रूपये का एक नोट
 नंबर 8BB 932810 95 500 रूपये का एक नोट नंबर 2BU 058257 96 500 रूपये का एक नोट नंबर 5UQ
 207382 97 500 रूपये का एक नोट नंबर 6GK 220270 98 500 रूपये का एक नोट नंबर 6TR 188586 99 500
 रूपये का एक नोट नंबर 5LT 781487 100 500 रूपये का एक नोट नंबर 0PS 045636 101 500 रूपये का एक
 नोट नंबर 6NC 963348 102 500 रूपये का एक नोट नंबर 4SM 877229 103 500 रूपये का एक नोट नंबर
 4MM 725127 104 500 रूपये का एक नोट नंबर 0TW 057680 105 500 रूपये का एक नोट नंबर 1VL
 756827 106 500 रूपये का एक नोट नंबर 7FP 422354 107 500 रूपये का एक नोट नंबर 6PB 380213 108
 500 रूपये का एक नोट नंबर 1EA 781204 109 500 रूपये का एक नोट नंबर 3KH 928636 110 500 रूपये का
 एक नोट नंबर 2MF 333951 111 500 रूपये का एक नोट नंबर 9AL 992482 112 500 रूपये का एक नोट नंबर
 8DT 841578 113 500 रूपये का एक नोट नंबर 8AN 027397 114 500 रूपये का एक नोट नंबर 7HL 741124
 115 500 रूपये का एक नोट नंबर 3AP 558824 116 500 रूपये का एक नोट नंबर 0FQ 411911 117 500 रूपये
 का एक नोट नंबर 6WN 772753 118 500 रूपये का एक नोट नंबर 3NL 971608 119 500 रूपये का एक नोट

नंबर 8HA 929344 120 500 रूपये का एक नोट नंबर 3CH 502792 121 500 रूपये का एक नोट नंबर 2QS 397561 122 500 रूपये का एक नोट नंबर 8UU 866058 123 500 रूपये का एक नोट नंबर 0RU 968423 124 500 रूपये का एक नोट नंबर 6TH 419572 125 500 रूपये का एक नोट नंबर 3ET 088932 126 500 रूपये का एक नोट नंबर 5PH 397402 127 500 रूपये का एक नोट नंबर 4FD 292230 128 500 रूपये का एक नोट नंबर 6MQ 806835 129 500 रूपये का एक नोट नंबर 8KE 289269 130 500 रूपये का एक नोट नंबर 9RU 356952 131 500 रूपये का एक नोट नंबर 4UU 263926 132 500 रूपये का एक नोट नंबर 0HR 684606 133 500 रूपये का एक नोट नंबर 6GU 679733 134 500 रूपये का एक नोट नंबर 3LU 114984 135 500 रूपये का एक नोट नंबर 0FV 662533 136 500 रूपये का एक नोट नंबर 6PG 013730 137 500 रूपये का एक नोट नंबर 7CV 230186 138 500 रूपये का एक नोट नंबर 2SH 523324 139 500 रूपये का एक नोट नंबर 9GL 374017 140 500 रूपये का एक नोट नंबर 4DA 874130 उपरोक्त नोट परिवारी श्री हिम्मत सिंह द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 को मालखाने से फिनोफथलीन पाउडर निकलवाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर नोटों को परिवारी श्री हिम्मत सिंह की पहनी हुई कोट के अन्दर की उपर नीचे की बायीं दोनो जेब में कोई शै: नही छोडते हुए 35 - 35 हजार रूपये अलग अलग रबर लगाकर एक गड्डी उपरी जेब एवं दूसरी गड्डी नीचे वाली जेब में रखवाये गये। श्री सुनिल कुमार कानि से एक साफ प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस रंगहीन घोल में श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवारी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा परिवारी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगे तो नोटों पर लगा फिनोफथलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीगणो ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 से बाहर फिकवाकर फिनोफथलीन पाउडर की शीशी पुनः मालखाने में सुरक्षित रखने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उपरोक्त डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिकवाकर डिस्पोजल गिलास को जलाकर नष्ट कराया। परिवारी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगणो के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवारी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद मोबाईल से मिस कोल कर अथवा गोपनीय निर्धारित ईशारा (अपनी निजी कार के एण्डीकेटर चालु) करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा श्री सुनिल कुमार कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशिया, ढक्कन चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर व नये डिस्पोजल गिलास पेकेट ट्रेप बोक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवारी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवारी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं परिवारी हिम्मत सिंह को डिजीटल टेप रिकोर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को टेप करें। परिवारी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्रीमती टीना कंवर महिला कानि0 के दोनो हाथों को साफ-पानी व साबुन ने धुलवाये गये एवं उसें ट्रेप कार्यवाही के दौरान ब्यूरो कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा मुर्तीब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। परिवारी हिम्मत सिंह ने अवगत कराया कि सरपंच भैरू लाल कमीशन के रूप में रिश्वत के पैसे लेने के लिये बार बार मोबाईल कर रहा है जिससे भी वार्ता किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात दिनांक 09.01.2025 समय 12.25 पीएम पर परिवारी श्री हिम्मत सिंह के मोबाईल नम्बर [REDACTED] से आरोपी श्री भैरू लाल सुथार के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर कोल कर आपस मे वार्ता कराई गई जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व गवाहान द्वारा भी सुना गया तो सरपंच भैरू लाल सुथार द्वारा रिश्वत की राशि की मांग करना व प्राप्त करने के लिये सहमति दी गई जिसकी इस सत्यापन वार्ता से पुष्टि होती है। उक्त वार्ता होने से स्पष्ट होता है कि आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच द्वारा भी पुर्व मे कल दिनांक 08.01.2025 को सचिव दीपक चतुर्वेदी द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में दोनो के लिये 5-5 प्रतिशत कमीशन राशि लिये जाने की सहमति एवं आपसी मिली भगत जाहिर होती है। तत्पश्चात समय 12.30 पीएम पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार ने मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर परिवारी श्री हिम्मत सिंह के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर कोल किया तो परिवारी ने बताया कि मैं एसबीआई बैंक में हूं, आ रहा हूं। फिर समय 12.45 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री कृष्ण गोपाल शर्मा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री इम्तियाज हुसैन अनुरेखक मय ट्रेप पार्टी सदस्य श्री

ओमप्रकाश सउनि, जितेन्द्र सिंह हेड कानि, श्री सुनिल कुमार कानि. जितेन्द्र कुमार कानि. मय परिवादी श्री हिम्मत सिंह को डिवीआर के अपने निजी वाहन से एवं लेपटाप मय प्रिन्टर मय ट्रेप बॉक्स व आवश्यक सामग्री मय सरकारी वाहन मय चालक श्री शेर सिंह के ट्रेप कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट के सामने की तरफ रवाना हुये। चैकी हाजा पर महिला कानि श्रीमति टीना कंवर को निगरानी हेतु रखा गया। फिर समय 12.48 पीएम पर कलेक्ट्रेट परिसर के मेन गेट के सामने की तरफ सरकारी वाहन को एक तरफ साईड में खड़ा करते हुए परिवादी श्री हिम्मत सिंह अपने निजी कार में डिवीआर चालू कर आरोपीगणों के पास रिश्तत राशि देने हेतु रवाना करते हुए ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को अपनी अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी व आरोपीगणों के मध्य रिश्तत राशि लेन देन को देखने व सुनने की हिदायत मुनासिब की परिवादी के निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे फिर समय 12.54 पीएम पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह ने आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच को स्वयं के हिस्से की रिश्तत राशि 35,000 रुपये एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव के हिस्से की रिश्तत राशि 35000रुपये सहित कुल रिश्तत राशि 70000 रुपये देने का पूर्व निर्धारित ईशारा अपनी निजी कार का एण्डीकेटर चालू कर किया गया। जिस पर परिवादी द्वारा निर्धारित इशारा किया जिसे कानि. सुनिल कुमार ने देखकर अन्य ट्रेप दल के सदस्यों को इशारा किया जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहन तेज कदमों से चलते हुए परिवादी के पास पहुंचें तथा परिवादी ने डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर पेश किया जिसे हेड कानि. जितेन्द्र सिंह को दिया जिसने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने अपनी निजी कार का एण्डीकेटर चालू करने का ईशारा करते हुए अपनी कार में ही आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के साथ कार में बैठे रहते हुए हाथ से ईशारा करते हुए बताया कि यही भैरू लाल सरपंच साहब है जिन्होंने अभी अभी मेरे से रिश्तत राशि 70,000 रुपये अपने दाहिने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की सामने की बायीं जेब में रखे हुए है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के समक्ष उक्त व्यक्ति के दोनो हाथ पॉचों से उपर कलाई को एक हाथ श्री सुनिल कुमार कानि. ने एवं दूसरे हाथ को कानि श्री नरेन्द्र कुमार ने पकड़ लिया। उक्त व्यक्ति को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देते हुये उक्त व्यक्ति से अपना नाम पता पुछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम भैरू लाल सुथार पुत्र श्री रतन लाल सुथार उम्र 33 वर्ष निवासी सहनवा वार्ड नम्बर 5 चारभुजा मन्दिर के पास थाना सदर चितौड़गढ तहसील व जिला चितौड़गढ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चितौड़गढ जिला परिषद चितौड़गढ होना बताया। तत्पश्चात घटना स्थल पर आम सड़क एवं पब्लिक आवागमन तथा सुरक्षा की दृष्टि से हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच को हमरा लेकर नजदीक एसीबी चैकी कार्यालय चितौड़गढ के लिये रवाना हो एसीबी चैकी कार्यालय चितौड़गढ पहुंचे जहां पर शेष कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिस पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच को परिवादी श्री हिम्मत सिंह से 70,000/- रुपये रिश्तत राशि किस बात के ग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में पुछा तो आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच घबरा गया और कांपने लगा तथा कहने लगा कि साहब गलती हो गई है मुझे माफ कर दो। उक्त आरोपी के कथनों के सम्बन्ध में परिवादी श्री हिम्मत सिंह को पूछा तो हिम्मत सिंह ने बताया कि श्री भैरू लाल सुथार सरपंच द्वारा मेरे चचेरे बड़े भाई साहब श्री दुर्गा सिंह जी फर्म तिरूपति बालाजी इन्टर प्राईजेज सेंटी चितौड़गढ के द्वारा ग्राम पंचायत सहनवा के क्षेत्राधिकार में निर्माण कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है उक्त निर्माण कार्य का कार्यआदेश की अनुमानित लागत करीब 22 लाख रुपये की है जिसमें करीब 80 प्रतिशत निर्माण कार्य हो चुका है एवं फर्शी व प्लास्टर का कार्य शेष है उक्त निर्माण कार्य की प्रथम किश्त 7,65,081 रुपये के भुगतान करने के सम्बन्ध में सरपंच श्री भैरू लाल सुथार व सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी को कहने पर दोनो के द्वारा पहले तो 15 प्रतिशत कमीशन राशि की मांग की गई फिर काफी निवेदन करने के बाद सरपंच व सचिव ने 5-5 प्रतिशत कमीशन राशि प्रथम किश्त का भुगतान करने की एवज में मांग की गई जिस पर मेरे द्वारा मेरी फर्म के प्रोपराईटर श्री दुर्गा सिंह जी की मोखिक सहमति पर मेने ब्यूरो में कार्यवाही हेतु कल दिनांक 08.01.2025 को समय 1.30 पीएम पर उपस्थित होकर शिकायत प्रार्थना पत्र श्रीमान को पेश किया जिस पर रिश्तत राशि मांग सत्यापन करने पर सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी सरपंच साहब ने स्वयं के लिये 5 प्रतिशत कमीशन राशि 35 हजार रुपये मांगे तथा श्री भैरू लाल सुथार के लिये मांग सत्यापन के दौरान ही 5 प्रतिशत कमीशन राशि 35 हजार रुपये मांग की गई उक्त रिश्तत राशि मांग अनुसार ही मेने आज व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय आया जिस पर मुझे उक्त रिश्तत राशि 70 हजार रुपये दो अलग अलग टुकड़ों में यानि कि 35- 35 हजार रुपये सरपंच व ग्राम सचिव के लिये मुझे देकर भेजे जो मेने अभी अभी मेरी निजी कार में सरपंच श्री भैरू लाल सुथार को फ्रन्ट सीट पर बैठाकर एवं मैं ड्राईवर सीट बेठा हुआ उक्त भुगतान के सम्बन्ध में बातचीत करते हुए सरपंच साहब द्वारा कमीशन की राशि मांगने पर मेने मेरे पहने हुए कोट की अन्दर की बायीं जेब उपर नीचे वाली से 35- 35 हजार रुपये की दो रबर लगे हुए गड्डीया दी जिसे श्री भैरू लाल सरपंच साहब ने अपने दाहिने हाथ मे लेकर गिनने के बाद अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू की सामने की दाहिनी जेब में रखने के बाद मेने पूर्व निर्धारित ईशारा मेरी कार का एण्डीकेटर चालू करके किया है। जिस पर आप सभी ने मेरे निर्धारित ईशारे को देखकर मेरी गाडी के पास चारो तरफ से घेरा डालकर मुझे पूछा तो मेने आप सभी टीम के सदस्यों को हाथ से ईशारा कर बताया कि फ्रन्ट सीट पर बैठे हुए सरपंच साहब है उक्त तथ्य परिवादी द्वारा बताये जिसके सम्बन्ध में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच को पूछा तो

आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच ने परिवारी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की पुष्टी करते हुए कहा कि साहब यह राशि 70 हजार रूपये मेने मेरे अकेले के लिये नहीं लिये है इसमें मेरे तो 35 हजार रूपये है बाकी के 35 हजार रूपये ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी के है जो उन्होंने मुझे श्री हिम्मत सिंह जी से लेने के लिये कहा है और मेने उक्त राशि श्री हिम्मत सिंह जी से लेते समय मेरे मोबाईल नम्बर [REDACTED] से गार्म सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर कोल किया तो श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ने मुझे कहा कि आपके पास रख लो मै चितौड़गढ कलेक्ट्री की तरफ आ रहा हूं। इसलिये मेने लिये है उपरोक्त तथ्यों से पुष्टी होती है कि आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के बारे में प्रमाणिकता होने पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। हाथ धुलाई की कार्यवाही हेतु सरकारी वाहन मे से श्री प्रवीण सिंह कानि से ट्रेप बोक्स मंगवाया गया। ट्रेप बोक्स में से दो साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाये जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासों में जितेन्द्र सिंह हेड कानि से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो दोनों गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिस पर एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क RH-1 व RH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क LH-1 व LH-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गवाह श्री कृष्ण गोपाल शर्मा को आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के पहनी हुई जिन्स बरंग ब्ल्यू की सामने की दाहिनी जेब से दो 500-500 रूपये के नोट मिले जिनको स्वतन्त्र गवाहन से गिनवाया जाकर फर्द पेशकशी नोट नम्बर से मिलान किया गया तो 500-500 के 140 नोट कुल 70,000/- रूपये राशि हुबहु हुये उक्त बरामद शुदा नोटों पर एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट बंद किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री भैरू लाल सरपंच की पहनी हुई जिन्स पेन्ट जिसकी दाहिनी जेब से रिश्वत राशि बरामद होने से उक्त पहनी हुई जिन्स पेन्ट बरंग ब्ल्यू को ससम्मान उतराई जाकर दूसरा पहनने का लोवर मंगाया जाकर पहनाया गया तथा ट्रेप बोक्स में से एक साफ पारदर्शी प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उनमें साफ पानी भरवाया गया। उक्त गिलास में सुनिल कुमार कानि से एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो गिलास के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के पहनी हुई पेन्ट जिसकी सामने की दाहिनी जेब जिसमें रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टा कर के डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी होना पाये जाने पर उक्त धोवन के घोल को नियमानुसार दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क P-1 व P-2 से चिन्हित करा सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा जामा तलाशी में रिश्वत राशि के अलावा 500- 500 रूपये के 10 नोट कुल राशि 5000 रूपये मिले जिसके सम्बन्ध में आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच से पूछा तो उसने अपनी निजी राशि होना बताया जो आरोपी के पास ही रखवाये गये। तत्पश्चात् पुर्व में आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवारी श्री हिम्मत सिंह को अपने मोबाईल नम्बर [REDACTED] से ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर कोल कराया गया तो श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ने कहा कि मै जिला परिषद के सामने हूं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कानिस्टेबल प्रवीण सिंह व हेड कानिस्टेबल श्री जितेन्द्र सिंह को ब्यूरो कार्यालय चितौड़गढ के पास स्थित जिला परिषद कार्यालय चितौड़गढ श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव को देखकर ब्यूरो कार्यालय में लेकर आने हेतु निर्देशित किया गया जिस पर कानिस्टेबल प्रवीण सिंह व हेड कानिस्टेबल श्री जितेन्द्र सिंह द्वारा ब्यूरो कार्यालय से बाहर निकलते ही परिवारी ने हाथ से ईशारा कर बताया कि जिला परिषद कार्यालय के बाहर मोटर साईकिल के पास खड़ा व्यक्ति ही ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी है जिस पर ब्यूरो जाप्ता द्वारा उक्त गाम सचिव को लेकर ब्यूरो कार्यालय में मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष में लाकर पेश किया जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व ब्यूरो टीम का परिचय देते हुए उक्त कार्यवाही से अवगत कराते हुए उसको अपना परिचय पूछा तो उसने अपना नाम दीपक चतुर्वेदी पुत्र श्री हरनारायण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी उपरला चौहटा गंगरार थाना गंगरार तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ हाल ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिती चितौड़गढ जिला परिषद चितौड़गढ मो न [REDACTED] होना बताया। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव को परिवारी श्री हिम्मत सिंह के चचेरे बड़े भाई साहब श्री दुर्गा सिंह प्रोपराईटर फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरप्राईजेज सेंटी चितौड़गढ की फर्म द्वारा ग्राम पंचायत सहनवा के क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य के प्रथम किशत का भुगतान करने के एवज में आपने परिवारी से 5 प्रतिशत कमीशन राशि के रूप में

35 हजार रुपये अपने लिये लिये जाने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ने बताया कि श्री हिम्मत सिंह के चचेरे बड़े भाई साहब श्री दुर्गा सिंह प्रोपराईटर फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरप्राइजेज सेंटी चित्तौड़गढ़ की फर्म द्वारा ग्राम पंचायत सहनवा के क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य का उद्घाटन खर्च राशि होने से मेने व सरपंच साहब ने उक्त राशि मांगी थी। आज मुझे अभी समय करीब 1.00 पीएम के आस पास फोन करके कहा कि हिम्मत सिंह जी ने आपके हिस्से के 35 हजार रुपये मुझे दे दिये है तो मेने कहा कि आप अपने पास रख लो मैं अभी कलेक्ट्री आ रहा हूँ इसलिये मैं मेरे निजी कार्य से चित्तौड़गढ़ आया हुआ था। और अभी कुछ समय पूर्व श्री हिम्मत सिंह जी ने अपने मोबाईल नम्बर [REDACTED] से मेरे मो. [REDACTED] पर कोल किया तो मेने कहा कि मैं जिला परिषद कार्यालय चित्तौड़गढ़ के बाहर हूँ जिस पर मुझे ब्यूरो टीम द्वारा लेकर आपके पास लेकर आये है मुझे पूरे घटना क्रम की जानकारी है मेने श्री हिम्मत सिंह जी से रिश्तत राशि मांगी है उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में परिवादी श्री हिम्मत सिंह से पूछा तो श्री हिम्मत सिंह ने बताया कि मेरे से सरपंच श्री भैरू लाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी दोनो ने अपना-अपना कमीशन अलग अलग 35-35 हजार रुपये कल दिनांक 08.01.2025 को श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ने मांगे है जो मेने आज रिश्तत राशि मांग अनुसार सरपंच श्री भैरू लाल सुथार को दी थी तब मेने सरपंच को सचिव साहब से बात करने की कहा तो मेरे सामने ही सरपंच साहब ने सचिव साहब को फोन कर अपने कमीशन की राशि के सम्बन्ध में कहा तो सचिव साहब ने सरपंच साहब को अपने पास रखने की कहा था। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सरपंच श्री भैरू लाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी को परिवादी के उक्त तथ्य के सम्बन्ध में पुनः पूछा तो दोनो आरोपीगणो द्वारा बताया कि साहब गलती हो गयी है आयन्दा ऐसी गलती नही होगी। हमे माफ कर दो। तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव को परिवादी के चचेरे बड़े भाई साहब श्री दुर्गा सिंह प्रोपराईटर फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरप्राइजेज सेंटी चित्तौड़गढ़ की फर्म द्वारा ग्राम पंचायत सहनवा के क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य मद डीएमएफटी की पत्रावली/दस्तावेज प्रस्तुत करने की कहने पर आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ने कार्यालय ग्राम पंचायत सहनवा कार्यरत महिला कनिष्ठ लिपिक श्रीमति स्वाती सारस्वत को मोबाईल नम्बर [REDACTED] फोन पर वार्ता कर उक्त निर्माण कार्य की पत्रावली मंगायी गई जिस पर कार्यालय ग्राम पंचायत सहनवा कार्यरत महिला कनिष्ठ लिपिक श्रीमति स्वाती सारस्वत ने मूल पत्रावली लाकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया तो उक्त निर्माण कार्य की एवज में प्रथम रनिंग बिल राशि 14,83,204.3 रुपये का बनना पत्रावली से पाया गया किन्तु परिवादी द्वारा प्रस्तुत भुगतान बाउचर नम्बर 26525757 दिनांक 07.01.2025 समय 3.23 पीएम भुगतान राशि 7,65,080 रुपये भुगतान बाउचर दिनांक 01.01.2025 बिल नम्बर 08 से भुगतान होना पाया गया। उक्त फर्म को रनिंग बिल पेटे भुगतान राशि 7,65,080 रुपये के अलावा शेष राशि का भुगतान नही होना एवं कार्य पेण्डिंग होना पाया जाता है। उक्त महिला कार्मिक से सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रतिया वजह सबूत प्राप्त कर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई एवं मूल पत्रावली उक्त महिला कार्मिक श्रीमति स्वाती सारस्वत को दुरस्त हालत में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु लोटायी गई। तत्पश्चात् आरोपी भैरू लाल सुथार सरपंच एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव तथा परिवादी श्री हिम्मत सिंह के मध्य आपस में साधारण कोल पर हुई रिश्तत राशि से सम्बन्धित वार्ता दिनांक 08.01.2025 एवं 09.01.2025 को हुई मोबाईल वार्ता होना पाये जाने से आरोपी भैरू लाल सुथार सरपंच एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव दोनो के मोबाईल फोन को पृथक-पृथक वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया जाना आवश्यक होने से उक्त दोनो मोबाईल को जरिये फर्द पृथक-पृथक जब्त किया जावेगा तथा घटना स्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जावेगा। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्तत राशि एसीबी कार्यालय पर ही पृथक से तैयार की गई। तथा मौके पर ही उपरोक्त कार्यवाही की विडीयोग्राफी श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मोबाईल से करवाई गई। फर्द हाजा मूर्तिब की जाकर हाजरियान को पढकर सुनाई, पढ-सुन-समझ कर सही होना मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। उपरोक्त फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त फर्द समय करीब 4.15 पीएम पर सम्पन्न की गई। फिर समय 04.20 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी श्री हिम्मत सिंह की निशादेही पर घटना स्थल जाकर घटना स्थल का पृथक से नक्शा मौका तैयार कर संबंधित के हस्ताक्षर कराये गये। बाद अवलोकन फर्द नक्शा मौका घटना स्थल को शामिल पत्रावली किया गया। बाद फारिक नक्शा मौका उपस्थित कार्यालय आये। फिर समय 4.35 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आरोपी भैरू लाल सुथार सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्ण गोपाल शर्मा से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन वीवो एक्स 60 प्रो कम्पनी का बरंग नेवी ब्ल्यू होकर उसमें दो सीम लगी हुई है जिसके सिम नम्बर [REDACTED] है। जिसके आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर 864407058707177 एवं सिम स्लाट 2 नम्बर 864407058707169 है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचिट किया जाकर मार्क "MB-1" अंकित कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ कर सुनाई

समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा समय 4.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ की जामा तलाशी गवाह श्री कृष्ण गोपाल शर्मा से लिवाई गई तो अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाईल फोन सेमसंग गलैक्सी ए 1 कम्पनी का बरंग काला, होकर उसमें एक मोबाईल एयरटेल कम्पनी की सीम लगी हुई है जिसके सिम नम्बर [REDACTED] है। जिसके आईएमईआई नम्बर सिम स्लाट 1 नम्बर 354267931747569 एवं सिम स्लाट 2 नम्बर 354563361747560 है, उक्त मोबाईल फोन को उक्त कार्यवाही में प्रकरण में वजह सबूत मय सीम के जप्त कर सफेद कपडे की थैली में सीलचित किया जाकर मार्क " MD-1" अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 5.00 पीएम पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार पुत्र श्री रतन लाल सुथार उम्र 33 वर्ष निवासी सहनवा वार्ड नम्बर 5 चारभुजा मन्दिर के पास थाना सदर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को अन्तर्गत धारा 35 बी (2) बीएनएसएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के कारणों के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधन 2018 व 61(2) बीएनएस 2023से अवगत कराया जाकर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया। तथा गिरफ्तारी के संबंध में उसके अधिकारो से अवगत कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता श्री रतन लाल सुथार को दी गई। फर्द गिरफ्तारी हस्वकायदा मुर्तिब कर सम्बधित को पढकर सुनाई जाकर सही मान हस्ताक्षर किए तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को भोजन कराया जाकर फिर समय 5.15 पीएम पर आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी पुत्र श्री हरनारायण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी उपरला चौहटा गंगरार थाना गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को अन्तर्गत धारा 35 बी (2) बीएनएसएस के तहत आरोपी को गिरफ्तार किये जाने के कारणों के संबंध में चैक लिस्ट तैयार की जाकर उसके द्वारा किये गये जुर्म अन्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 यथा संशोधन 2018 व 61(2) बीएनएस 2023 से अवगत कराया जाकर हस्वकायदा गिरफ्तार किया गया। तथा गिरफ्तारी के संबंध में उसके अधिकारो से अवगत कराया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता श्री हर नारायण चतुर्वेदी को दी गई। फर्द गिरफ्तारी हस्वकायदा मुर्तिब कर सम्बधित को पढकर सुनाई जाकर सही मान हस्ताक्षर किए तथा गिरफ्तार शुदा आरोपी को भोजन कराया गया फिर समय 05.30 पी.एम पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार पुत्र श्री रतन लाल सुथार उम्र 33 वर्ष निवासी सहनवा वार्ड नम्बर 5 चारभुजा मन्दिर के पास थाना सदर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ को कार्यालय पत्र क्रमांक 75 दिनांक 09.01.2025 द्वारा पत्र जारी इस सम्बन्ध में किया गया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री हिम्मत सिंह एवं आपके मध्य दिनांक 09.01.2025 को रूबरू हुई वार्ता, मोबाईल पर एवं आमने सामने हुई रिश्त राशि लेन देन से पूर्व एवं लेन देन के समय हुई आमने सामने वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डीवीआर में रेकार्ड की गई जिसके सम्बन्ध में आप अपनी नमूना आवाज रेकार्ड करावे। जिस पर आरोपी ने उक्त पत्र पर आवाज का नमूना के संबंध में "मैं अपनी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हु अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 5.40 पी.एम पर आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को कार्यालय पत्र क्रमांक 76 दिनांक 09.01.2025 द्वारा पत्र जारी इस सम्बन्ध में किया गया कि ट्रेप कार्यवाही के दौरान परिवादी श्री हिम्मत सिंह एवं आपके मध्य दिनांक 08.01.2025 को रूबरू हुई रिश्त राशि मांग सत्यापन वार्ता, मोबाईल पर रिश्त राशि लेन देन के समय हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डीवीआर में रेकार्ड की गई जिसके सम्बन्ध में आप अपनी नमूना आवाज रेकार्ड करावे। जिस पर आरोपी ने उक्त पत्र पर आवाज का नमूना के संबंध में "मैं अपनी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हु "अंकित कर अपने हस्ताक्षर कर जवाब प्रस्तुत किया। पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 5.50 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे दोनो स्वतंत्र गवाहन, परिवादी एवं गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ की उपस्थित में दिनांक 09.01.2025 को परिवादी श्री हिम्मत सिंह व आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच के मध्य सामने आमने-सामने (रूबरू) हुई रिश्त राशि लेन देन के वक्त वार्ता जो कार्यालय के डीवीआर में लगे मैमोरी कार्ड में सुरक्षित है उक्त डीवीआर को कार्यालय मे कम्प्युटर से कनेक्ट कर चलाकर बारी बारी से सुनाया गया तो उपरोक्त वार्ताओं में एक आवाज आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच की होने की आरोपी स्वयं ने अपनी आवाज होने की पुष्टी की तथा एक आवाज परिवादी श्री हिम्मत सिंह ने अपनी स्वयं की होने की पुष्टी की उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री जितेन्द्र सिंह हैड कानि से पृथक से तैयार करवाई जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 6.40 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय श्री जितेन्द्र कुमार कानि. प्रवीण सिंह कानि. मय महिला कानि. श्रीमति टीना कँवर मय आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव मय सरकारी वाहन मय चालक के आरोपी के निवास गंगरार की खाना तलाशी हेतु गंगरार रवाना हो आरोपी के निवास गंगरार से बाद खाना तलाशी उपस्थित ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ आये। फिर समय 8.45 पी.एम.पर मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक के निर्देशन मे स्वतंत्र गवाह के समक्ष दिनांक 08.01.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह व संदिग्ध आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति एवं जिला चित्तौड़गढ़ के मध्य पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ कार्यालय परिसर में आधार सेवा केन्द्र के बाहर परिवादी की कार में हुई रूबरू वार्ता तथा दिनांक 09.01.2025 समय 12.25 पीएम परिवादी श्री हिम्मत सिंह के मोबाईल नम्बर [REDACTED] से आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर हुई वार्ता दिनांक 09.01.2025 समय 12.30 पीएम आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच के मोबाईल नम्बर [REDACTED] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर हुई वार्ता दिनांक 09.01.2025 समय 12.48 पीएम पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह की दौराने रिश्चत राशि लेन-देन सेटेलार्ड होस्पिटल के बाहर (एसबीआई बैंक के सामने) संदिग्ध आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच हुई लेन-देन वार्ता कुल 04 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर मे लगे मेमोरी कार्ड में सुरक्षित थी उक्त डीवीआर को कार्यालय के कम्प्युटर से कनेक्ट कर चार पेन ड्राईव सेनडीस्क कंपनी बरंग लाल काला 32 जीबी मे लेकर सुरक्षित किया गया तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु, दो पेन ड्राईव आरोपीगण हेतु जिनको एक सफेद कपडे की थैली में सीलचिट कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये एवं एक पेन ड्राईव जो अनुसंधान अधिकारी हेतु खुला रखा गया। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 9.00 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे स्वतंत्र गवाह के समक्ष दिनांक 08.01.2025 को समय 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह व संदिग्ध आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति एवं जिला चित्तौड़गढ़ के मध्य पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ कार्यालय परिसर में आधार सेवा केन्द्र के बाहर परिवादी की कार में हुई रूबरू वार्ता तथा दिनांक 09.01.2025 समय 12.25 पीएम परिवादी श्री हिम्मत सिंह के मोबाईल नम्बर [REDACTED] से आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर हुई वार्ता दिनांक 09.01.2025 समय 12.30 पीएम आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच के मोबाईल नम्बर [REDACTED] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [REDACTED] पर हुई वार्ता दिनांक 09.01.2025 समय 12.48 पीएम पर परिवादी श्री हिम्मत सिंह की दौराने रिश्चत राशि लेन-देन सेटेलार्ड होस्पिटल के बाहर (एसबीआई बैंक के सामने) संदिग्ध आरोपी श्री भैरूलाल सुथार सरपंच हुई लेन-देन वार्ता कुल 04 वार्तायें जो कार्यालय के डिवीआर मे लगे मेमोरी कार्ड KDM 8 जीबी बरंग काला में सुरक्षित थी उक्त मेमोरी कार्ड को डिवीआर से निकालकर बाद कपडे की थैली में सीलचिट कर मार्क- M-1 कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। फिर समय 9.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे स्वतंत्र गवाह के समक्ष दिनांक 09.01.2024 को ट्रेप कार्यवाही में हाथ धुलाई तथा जन्ती रिश्चती राशि तथा आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी के रिहायशी मकान की खाना तलाशी के दौरान कानि श्री प्रवीण सिंह के मोबाईल से आडियो-विडीयो तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान दोनो आरोपीगण के फोटो लिये गये उक्त मोबाईल में लगा मेमोरी कार्ड KDM 8 जीबी बरंग काला को मोबाईल से निकाल कर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सीलचिट मार्क- M-2 कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये।फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर संबंधित को पढ कर सुनाई समझाई, सही मान हस्ताक्षर किए किए जाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद फारीक कार्यवाही के परिवादी श्री हिम्मत सिंह एव दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। फिर समय 9.45 पी.एम पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ का मेडिकल कराने हेतु तहरीर कार्यालय पत्र क्रमांक 74 दिनांक 09.01.2025 जारी कर श्री सुनील कुमार कानि0, नरेन्द्र कुमार सैनी कानि., प्रवीण सिंह कानि. के हमराह आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के जरिये सरकारी वाहन मय चालक के राजकीय सांबलिया जी चिकित्सालय चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना हो आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की मेडिकल रिपोर्ट ब्यूरो कार्यालय के मूल पत्र पर पेश की जिसका अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 11.45 पी.एम पर आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को रात्रि निगरानी हेतु पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ जमा कराने हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 77 दिनांक 09.01.2025 देकर श्री सुनील कुमार कानि0, नरेन्द्र कुमार सैनी कानि., प्रवीण सिंह कानि. के हमराह आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के जरिये सरकारी वाहन मय चालक को रवाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ किया जाकर समय 12.15 ए.एम (मध्य रात्रि) को आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को दाखिल

हवालात करा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लाये जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात 10.01.2025 समय 11.00 ए.एम पर कानि श्री सुनिल कुमार , कानि श्री प्रवीण सिंह मय सरकारी वाहन मय चालक शेर सिंह को वास्ते गिरफतार शुदा दोनो अभियुक्त श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ हवालात से प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ लेकर आने के लिये रवाना पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ जाकर गिरफतार शुदा दोनो अभियुक्त श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को पुलिस थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़ हवालात से दुरस्त हालात में प्राप्त कर ब्यूरो कार्यालय चित्तौड़गढ़ लेकर उपस्थित आये । फिर समय 01.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को कल दिनांक 11.01.2025 को जयपुर अपराध गोष्ठी में जाना है एवं चैकी हाजा के सहायक उप निरीक्षक श्री ओम प्रकाश प्रकरण संख्या 310/2024 में श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-02 चित्तौड़गढ़ में नमूना आवाज की कार्यवाही में व्यस्त होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री जितेन्द्र कुमार कानि0, श्री प्रवीण सिंह कानि0 के मय गिरफतार शुदा आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ को वास्ते जे.सी. रिमाण्ड पेश करने मय केस डायरी के माननीय विशिष्ठ न्यायाधीश महोदय, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उदयपुर क्रम संख्यां 01 के लिये रवाना किया ।जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपीगणो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की आदेश दिये जाने पर माननीय न्यायालय से उक्त दोनो आरोपीगणो के जेसी वारण्ट प्राप्त कर केन्द्रिय कारागृह उदयपुर में जमा करा प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लायी जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली की गई । इस प्रकार प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्चत मांग सत्यापन वार्ता, रिश्चत लेन-देन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफथेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्चत राशि व आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच के दोनों हाथों की धुलाई का धोवण एवं फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्चत राशि बरामदगी तथा की गई कार्यवाही की उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी श्री भैरू लाल सुथार हाल सरपंच एवं आरोपी श्री दीपक चतुर्वेदी ग्राम सचिव द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए आरोपी श्री भैरू लाल सुथार सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा परिवादी श्री हिम्मत सिंह से प्रथम भुगतान करने की एवज में कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत सहनवा के सरपंच श्री भैरूलाल सुथार एवं ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी द्वारा पूर्व में 15-15 प्रतिशत की कमीशन राशि की मांग की गई जिस पर परिवादी द्वारा अपने चचेरे बडे भाई साहब प्रोपाईटर श्री दुर्गा सिंह की फर्म तिरूपति बालाजी इन्टरप्राईजेज सैती चित्तौड़गढ़ द्वारा ग्राम पंचायत सहनवा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय बोजुन्दा में दो कमरे एवं बरामदा निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 22 लाख रुपये है जिसके निर्माण कार्य की प्रथम किशत का भुगतान करने के सम्बन्ध में परिवादी द्वारा निवेदन करने पर ग्राम सचिव श्री दीपक चतुर्वेदी ने 5 प्रतिशत के हिसाब से कुल भुगतान राशि 7,65,081 रुपये के राउण्ड फिगर में 7 लाख रुपये का कमीशन 5 प्रतिशत के हिसाब से 35-35 हजार रुपये की रिश्चत राशि मांग करना तथा मांग अनुसार परिवादी श्री हिम्मत सिंह से 70000 रुपये आरोपी श्री भैरू लाल सरपंच द्वारा गृहण करने का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री भैरू लाल सुथार पुत्र श्री रतन लाल सुथार उम्र 33 वर्ष निवासी सहनवा वार्ड नम्बर 5 चारभुजा मन्दिर के पास थाना सदर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं श्री दीपक चतुर्वेदी पुत्र श्री हरनारायण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी उपरला चोहटा गंगरार थाना गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (विक्रम सिंह) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं धाराएं - 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. 01. श्री भैरू लाल सुथार पुत्र श्री रतन लाल सुथार उम्र 33 वर्ष निवासी सहनवा वार्ड नम्बर 5 चारभुजा मन्दिर के पास थाना सदर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल सरपंच ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ एवं 02 श्री दीपक चतुर्वेदी पुत्र श्री हरनारायण चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण उम्र 44 वर्ष निवासी उपरला चोहटा गंगरार थाना गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ हाल ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत सहनवा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ जिला परिषद चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 172 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी)

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 21-25 दिनांक 10-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर। 3-आयुक्त ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर। 4- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चित्तौड़गढ़ 5-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चित्तौड़गढ़। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): VIKRAM SINGH Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): PARMAR (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.



(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 10/01/2025 21:20:29



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1992				
2	Male	18/09/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Bum Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)